अध्याय 4

वित्तीय प्रबंध

अध्याय 4

वित्तीय प्रबंधन

4.1 बजट प्रावधान, निधि निर्गमन और व्यय

पीएमएवाई-जी योजना के तहत, आवास निर्माण सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जानी थी। पीएमएवाई-जी के एफएफआई में प्रावधान है कि राज्यों को अनुदान के रूप में वार्षिक केंद्रीय आवंटन (आवास निर्माण सहायता), एमओआरडी द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर दो किस्तों[1] में जारी किया जाएगा। मंत्रालय राज्यों की संचित निधियों के लिए निधियां जारी करेगा जिसे केवल एसएनए[2] में रखा जाना था। आगे, पीएमएवाई-जी के एफएफआई में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार, भारत सरकार के हिस्से के अनुरूप अपना पूरा राज्यांश जारी करेगी एवं इसे एसएनए को अंतरित करेगी। पीएमएवाई-जी निधियों पर प्राप्त विविध प्राप्तियों और अर्जित ब्याज को उपलब्ध योजना संसाधनों के हिस्से के रूप में माना जाना था।

आरडीडी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि वर्ष 2019-24 के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कुल उपलब्ध निधि ₹ 20,199.98 करोड़ के विरुद्ध व्यय ₹ 14,113.07 करोड़ था। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत प्राप्त और व्यय की गई निधि का विवरण **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: वर्ष 2019-24 के दौरान प्राप्त कुल निधि और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष (ओबी)	निर्गत केन्द्रांश	निर्गत राज्यांश	विविध प्राप्तियाँ (ब्याज सहित)	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अंत शेष	कुल उपलब्ध निधि के प्रतिशत के रूप में व्यय
2019-20	684.68	2,439.64	1,488.08	15.12	4,627.52	3,328.08	1,299.44	72
2020-21	1,299.44	3,351.63	1,899.00	38.67	6,588.74	3,735.15	2,853.59	57
2021-22	2,853.59	1,150.92	1,135.09	58.69	5,198.29	4,176.34	1,021.95	80
2022-23	1,021.95	941.22	824.41	16.11	2,803.69	2,329.02	474.67	83
2023-24	474.67	291.55	194.37	21.15	981.74	544.48	437.26	55
कुल		**8,174.96**	**5,540.95**	**149.74**	**20,199.98**	**14,113.07**	**6,086.91**	**70**

(स्रोत: आरडीडी द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

[1] पहली किस्त, कुल वार्षिक वित्तीय आवंटन के 50 प्रतिशत के बराबर होगी और दूसरी किस्त, पहली किस्त और लागू कटौतियों (राज्य के हिस्से की कमी आदि) को घटाकर वार्षिक आवंटन के बराबर होगी।

[2] जैसा कि आरडीडी द्वारा लेखापरीक्षा को सूचित किया गया है, एसएनए का संचालन वर्ष 2015 से बैंक ऑफ इंडिया मेन रोड, रांची में एक खाते के माध्यम से किया जाता है।

तालिका 4.1 से यह देखा जा सकता है कि:

(i) वर्ष 2019-24 के दौरान उपलब्ध निधियों का उपयोग 55 से 83 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि निधियों का कुल उपयोग 70 प्रतिशत था।

(ii) कोविड-19 महामारी (वर्ष 2020-21) के दौरान व्यय मात्र 57 प्रतिशत रहा।

(iii) अन्य वर्षों में निधियों का कम उपयोग मुख्यतः आवासों के अधूरे और विलंब से पूर्ण होने तथा एमओआरडी द्वारा लक्ष्यों को प्रत्यर्पित करने/वापस लेने के कारण हुआ (जैसा कि इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में चर्चा की गई है)।

आरडीडी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि:

- वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान, एमओआरडी द्वारा कोई भौतिक लक्ष्य और निधि प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का लक्ष्य समाप्त हो गया था।
- वर्ष 2019-22 के दौरान केंद्र सरकार के हिस्से से ₹ 1,866.34 करोड़ (21 प्रतिशत) की कम राशि जारी की गई, जबकि राज्य सरकार के हिस्से से ₹ 1,350.18 करोड़ (23 प्रतिशत) की कमी रही। एमओआरडी और राज्य सरकार द्वारा कम निधि निर्गत किए जाने के बावजूद, वर्ष 2019-22 के दौरान 20 से 43 *प्रतिशत* की बचत हुई।
- निधियों का कम उपयोग, मुख्य रूप से आवासों के निर्माण में विलम्ब/अपूर्ण रहने (**कंडिका 3.1.3 से 3.1.5**), प्रत्यर्पण और लक्ष्यों की वापसी **(कंडिका 2.4)** तथा प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल तैयार करने में कमियों **(कंडिका 2.2)** के कारण था।

इसके जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि आवासों की स्वीकृति में कमी, लक्ष्यों के प्रत्यर्पण और लाभार्थियों के व्यक्तिगत कारणों से आवासों के निर्माण में विलंब के कारण बजटीय प्रावधान, आवंटन और व्यय प्रभावित हुए।

4.1.1 राज्य नोडल खाते में केन्द्रांश के अंतरण में विलंब

पीएमएवाई-जी (2016) के एफएफआई में कहा गया है कि निधियों का केंद्रीय आवंटन[3] राज्य संचित निधि में निधि की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों[4] के भीतर एसएनए को हस्तांतरित किया जाना है। इसमें विफल रहने पर राज्य विलंब की अवधि के लिए 12 प्रतिशत[5] प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। पीएमएवाई-जी (2022) के संशोधित एफएफआई के अनुसार, इसे 15 से 21 दिनों तक संशोधित किया गया।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएनए में केन्द्रांश के अंतरण में निर्धारित अवधि से, तीन से 92 दिनों के बीच की

---

[3] जिसमें राज्य की संचित निधि में अंतरित प्रशासनिक निधि भी शामिल है।

[4] 2022 में जारी पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार इसे संशोधित कर 21 दिन कर दिया गया था।

[5] पीएमएवाई-जी एफएफआई (2022) के अनुसार 2022-23 की अवधि से दंडात्मक ब्याज को हटा दिया गया था।

विलंब हुई। इससे राज्य सरकार पर दंडात्मक ब्याज के रूप में ₹ 22.39 करोड़ की देनदारी सृजित हुई।

4.1.2 तदनुरूप राज्यांश जारी करने में विलंब

पीएमएवाई-जी के एफएफआई (2016) के अनुसार, केन्द्रांश के तदनुरूप राज्यांश, केन्द्रांश जारी होने के 15 दिनों के भीतर जारी किया जाना था। पीएमएवाई-जी के संशोधित एफएफआई (2022) में यह प्रावधान किया गया कि राज्यांश यथाशीघ्र जारी किया जाना चाहिए, लेकिन केन्द्रांश के जारी होने के बाद 40 दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। लेखापरीक्षा में वर्ष 2019-24 के दौरान जारी किए गए राज्यांश की तुलना केन्द्रांश से की गई और पाया गया कि राज्य सरकार का समतुल्य हिस्सा एसएनए में आठ से 79 दिनों की विलंब से अंतरित किया गया।

इसके जवाब में, आरडीडी ने निधि जारी करने में हुई विलंब को स्वीकार करते हुए कहा (जून 2025) कि एसएनए को निधि हस्तांतरण में विलंब के लिए दंडात्मक ब्याज के भुगतान के संबंध में भारत सरकार का इस विभाग से कोई पत्राचार नहीं हुआ है। आगे यह भी कहा गया कि भविष्य में निधि जारी करने में विलंब न हो, इसके लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।

4.2 प्रशासनिक निधि

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, कार्यक्रम निधि का दो प्रतिशत[6] केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर योजना के प्रबंधन के लिए उपलब्ध होगा। प्रशासनिक निधि के रूप में निर्धारित दो प्रतिशत भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात में साझा की गई कार्यक्रम निधि के अतिरिक्त थी। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक निधियों का उपयोग राज्य, जिला और प्रखण्ड स्तर पर पीएमयू की स्थापना के साथ-साथ कर्मियों की नियुक्ति पर व्यय, लाभार्थियों को आवासीय साक्षरता सिखाने एवं जागरूक करने की गतिविधियाँ, प्रोटोटाइप आवासों के निर्माण की विधियाँ, सामाजिक लेखापरीक्षा, कार्मिकों के प्रशिक्षण, राजमिस्त्री प्रशिक्षण इत्यादि सम्मिलित हैं, के लिए किया जा सकता है।

एसपीएमयू द्वारा प्रदान किए गए अभिलेखों की लेखापरीक्षा विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला।

(i) एमओआरडी ने वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2023-24 के दौरान प्रशासनिक निधियों का केन्द्रांश जारी नहीं किया, क्योंकि पिछले वर्षों में आवंटित प्रशासनिक निधियों का आरडीडी द्वारा कम उपयोग किया गया था। राज्य सरकार ने भी प्रशासनिक निधियों के केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण प्रशासनिक निधियों का तदनुरूप हिस्सा जारी नहीं किया।

[6] 2021-22 से पहले, यह 4 प्रतिशत था

(ii) वर्ष 2019-24 के दौरान, उपलब्ध प्रशासनिक निधि ₹ 503.75 करोड़[7] में से ₹ 202.91 करोड़ (40 प्रतिशत) का व्यय हुआ।

(iii) वर्ष 2019-24 के दौरान प्रशासनिक निधियों का वर्ष-वार व्यय 30 से 65 प्रतिशत के बीच था।

प्रशासनिक निधियों से व्यय में कमी के कारणों में लाभार्थियों को सहायता सेवाओं का प्रावधान न करना (**कंडिका 3.2),** 2023-24 के दौरान राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए निधि का उपयोग न करना **(कंडिका 3.2.4)** इत्यादि सम्मिलित थे।

इसके अतिरिक्त, नमूना-जांचित छः जिलों में, वर्ष 2019-24 के दौरान उपलब्ध ₹ 91.47 करोड़[8] की निधि में से ₹ 47.12 करोड़[9] की प्रशासनिक निधि खर्च की गई। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रशासनिक निधि का उपयोग अन्य राज्य योजनाओं पर किया गया था एवं मनरेगा कर्मचारियों, चालकों इत्यादि को पारिश्रमिक का भुगतान किया गया था जिसकी अनुमति नहीं थी, जैसा कि आगे के कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

जवाब में, आरडीडी ने (जून 2025 में) कहा कि इस संबंध में संबंधित जिला प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

4.2.1 निधियों का विचलन

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रशासनिक निधि का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों[10] के साथ साथ राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण एवं प्रमाणन, उपयुक्त भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर प्रशिक्षण इत्यादि के लिए किया जाना था। आरडीडी ने सभी डीडीसी को निर्देश दिया (अप्रैल 2017) कि प्रशासनिक निधि का उपयोग पीएमयू कर्मियों को मानदेय भुगतान; राजमिस्त्री प्रशिक्षण एवं प्रमाणन; संसाधन व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों, पंचायत स्वयंसेवकों इत्यादि को प्रशिक्षण; जियो-टैगिंग के लिए नियुक्त कर्मियों को मानदेय; पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित आवासों की गुणवत्ता निगरानी; सामाजिक लेखापरीक्षा और संबंधित आईईसी गतिविधि; और लाभार्थियों के जागरूक करने इत्यादि मदों पर की जाए।

---

7 केंद्रीय हिस्सेदारी: ₹60.24 करोड़; राज्य का हिस्सा: ₹40.16 करोड़; बैंक ब्याज: ₹1.87 करोड़ और अन्य आय: ₹7.96 करोड़; ओबी: ₹393.52 करोड़।

8 बोकारो: ₹ 12.52 करोड़; दुमका: ₹ 22.97 करोड़; गिरिडीह: ₹14.08 करोड़; पलामू: ₹29.53 करोड़; रामगढ़: ₹4.73 करोड़; सिमडेगा: ₹ 7.64 करोड़।

9 बोकारो: ₹5.74 करोड़; दुमका: ₹3.96 करोड़; गिरिडीह: ₹14.08 करोड़; पलामू ₹15.94 करोड़; रामगढ़: ₹3.01 करोड़; सिमडेगा: ₹4.39 करोड़।

10 लाभार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यकलाप, प्रदर्शन, योजनाओं के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए आवासों के प्रोटोटाइप का निर्माण, प्रचालित पीएमयू स्थापित करने की लागत, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति का प्रशिक्षण, सामाजिक लेखापरीक्षा, आईईसी कार्यकलाप इत्यादि।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांचित छः जिलों (पलामू को छोड़कर) में ₹ 58.28 लाख की प्रशासनिक निधि का विचलन किया गया एवं इसे अस्वीकार्य मदों जैसे कि पीएमएवाई-जी[11] के अलावा अन्य योजनाएं (₹ 0.75 लाख), दुमका में डीआरडीए कार्यालय और अधिकारियों के आवास का नवीनीकरण (₹ 16.02 लाख), विविध व्यय[12] (₹ 41.51 लाख) इत्यादि पर खर्च किया गया।

जवाब में, चार डीआरडीए (बोकारो, दुमका, गिरिडीह और सिमडेगा) ने बताया (मई 2025) कि उच्चाधिकारियों की अनुमति से अत्यावश्यक कार्यों के लिए व्यय किया गया था। डीआरडीए, रामगढ़ ने (दिसंबर 2024) बताया कि अन्य मदों पर व्यय कार्य के हित में किया गया था। डीआरडीए, पलामू ने (जनवरी 2025) बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की लेखांकन त्रुटि के कारण पीएमएवाई-जी से निधि का विचलन हुआ।

जवाब में आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि जिला स्तरीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

अनुशंसा 6: राज्य सरकार प्रशासनिक निधियों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देशों/निर्देशों का नियमपूर्वक पालन सुनिश्चित कर सकती है।

4.2.2 प्रशासनिक निधियों की रोकड़ बही का रख-रखाव

आरडीडी ने निर्देश दिया (अगस्त 2019) कि पीएमएवाई-जी प्रशासनिक निधि की रोकड़ बही जिलों/प्रखंडों द्वारा टैली सॉफ्टवेयर में संधारित किया जाना था और संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित रोकड़ बही की मुद्रित प्रति लेखापरीक्षा के समय प्रस्तुत करने के लिए रखी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँच किए गए प्रखंडों/जिलों में रोकड़ बही टैली सॉफ्टवेयर के बजाय हस्तलिखित संधारित की जा रही थी। इसके अलावा, दो प्रखंडों (गिरिडीह और बोकारो के अंतर्गत क्रमशः देवरी और जरीडीह) और दुमका जिला में प्रशासनिक निधियों की हस्तलिखित रोकड़ बही[13] लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं की गईं। इस प्रकार, लेखापरीक्षा प्रशासनिक निधियों के अंतर्गत संबंधित प्रखंडों /जिलों द्वारा वर्ष 2019 -24 के दौरान कार्यालय व्यय, पारिश्रमिक, राजमिस्त्री प्रशिक्षण इत्यादि पर किए गए ₹95.22 लाख[14] के व्यय की प्रामाणिकता का पता नहीं लगा सकी।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

---

[11] बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना (बीएसबीआरएएवाई)/मनरेगा योजना।

[12] मनरेगा योजना के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों/सफाईकर्मी/संविदा कर्मचारियों/चालकों को भुगतान, वाहन की मरम्मत/अनुरक्षण।

[13] अक्टूबर 2019 से फरवरी 2022 तक की अवधि से संबंधित.

[14] आवास सॉफ्ट के अनुसार, 2019-24 के दौरान देवरी प्रखण्ड का प्रशासनिक निधि व्यय: ₹ 66.63 लाख और 2019-24 के दौरान जरीडीह प्रखण्ड का प्रशासनिक निधि व्यय: ₹ 28.59 लाख

4.3 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी करने में विलंब

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, बीडीओ द्वारा स्वीकृति आदेश निर्गत होने की तारीख से एक सप्ताह (सात कार्य दिवस) के भीतर लाभार्थी को जारी पहली किस्त (₹ 40,000) लाभार्थी के पंजीकृत बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा की जानी चाहिए।

पीएमएवाई-जी लाभार्थी, पक्का आवास के निर्माण के लिए बीडीओ द्वारा जारी फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) के माध्यम से राज्य नोडल खाते से तीन किस्तों में ₹ 1.20 लाख/ ₹ 1.30 लाख की सहायता प्राप्त करने के पात्र थे।

लेखापरीक्षा में छः नमूना-जांचित जिलों के 12 प्रखंडों में 633 लाभार्थियों के अभिलेखों की आवाससॉफ्ट के डेटा से मिलान किया एवं पाया गया कि 633 लाभार्थियों में से 473 (75 प्रतिशत) को पहली किस्त निर्धारित समय से एक से 511 दिनों की विलंब से मिली। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि पहली किस्त जारी करने में 30 दिनों तक (336 मामलों में), 31 से 90 दिनों के बीच (110 मामलों में), 91 से 120 दिनों के बीच (10 मामलों में) और 120 दिनों से अधिक (17 मामलों में) की विलंब हुई, जैसा कि **तालिका 4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने में विलंब

जिला	प्रखंड	नमूना परीक्षित लाभार्थी अभिलेख	पहली किस्त जारी करने में विलंब (मामले)				
			30 दिनों तक	31-90 दिन	91-120 दिन	121 दिनों से अधिक	विलंब के कुल मामले
बोकारो	गोमिया	50	22	16	2	2	42
	जरीडीह	51	15	17	4	4	40
दुमका	जामा	54	27	13	3	3	46
	सरैयाहाट	57	29	12	0	0	41
गिरिडीह	पिरटांड़	54	21	10	0	1	32
	देवरी	59	19	19	0	3	41
पलामू	हुसैनाबाद	50	28	9	0	0	37
	नीलाम्बर पीतांबरपुर	50	24	4	1	3	32
रामगढ़	दुलमी	50	25	0	0	0	25
	मांडू	50	38	1	0	0	39
सिमडेगा	कुरडेग	53	44	1	0	1	46
	ठेठईटांगर	55	44	8	0	0	52
कुल		**633**	**336**	**110**	**10**	**17**	**473**

(स्रोत: मार्च 2024 तक आवाससॉफ्ट डेटा)

लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में विलंब के कारण आवासों के निर्माण में भी विलंब हुई। लेखापरीक्षा में 27 ऐसे मामलों की नमूना जांच की गई जिनमें वित्तीय सहायता प्रदान करने में 90 दिनों से अधिक की विलंब हुई थी। जांच में पाया गया कि

13 मामलों में आवासों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा (12 महीने) से 32 से 297 दिनों की विलंब से पूरा हुआ, तीन मामलों में आवास अधूरे थे (सितंबर 2025 तक), जबकि 11 मामलों में आवास समय पर पूरे हुए।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि सभी बीडीओ को लाभार्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर वित्तीय सहायता जारी करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँगे।

4.4 मनरेगा के तहत मानव दिवसों के सृजन में कमी

पीएमएवाई-जी के एफएफआई में यह परिकल्पना की गई थी कि इकाई सहायता (₹1.20 लाख/₹1.30 लाख) के अतिरिक्त, पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को आवास निर्माण के दौरान 90/95 व्यक्ति-दिवस तक की अकुशल श्रमिक मजदूरी मनरेगा से प्रदान किया जाएगा। इसका लाभ लाभार्थी स्वयं उठा सकता है, या यदि लाभार्थी ने मनरेगा के तहत अपने 100 मानव -दिवस पूरे कर लिए हैं, तो मनरेगा के तहत काम की तलाश कर रहे किसी अन्य श्रमिक द्वारा श्रम का योगदान किया जा सकता है। एमओआरडी के निर्देश (सितंबर 2021) के अनुसार, राज्य को यह सुनिश्चित करना था कि पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को 90/95 मानव-दिवस के अकुशल श्रमिक मजदूरी का लाभ समय पर मिले।

लेखापरीक्षा द्वारा छः नमूना जाँच किए गए जिलों में 633 लाभार्थियों में से 302 लाभार्थियों (जिनके आवास आवाससॉफ्ट के अनुसार पूर्ण हों) के विवरणों की जांच की गई एवं मनरेगा पोर्टल (*nrega.nic.in*) पर अपलोड किए गए लाभार्थियों के जॉब कार्ड से मिलान किया गया ताकि वास्तविक रूप से सृजित मानव दिवसों की संख्या का पता लगाया जा सके। लेखापरीक्षा ने पाया कि सृजित किए जाने वाले मानव दिवसों (28,200) और वास्तव में सृजित मानव दिवसों (20,872) के बीच 7,328 मानव दिवसों का अंतर है। इस प्रकार, मानव दिवसों के सृजन में कमी के कारण पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को मजदूरी का कम भुगतान (₹ 11.87 लाख) होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

जेपीवी के दौरान पलामू और दुमका जिलों के दो लाभार्थियों को कम मानव दिवसों के सृजन के मामले **केस स्टडी 7 और 8** में दर्शाए गए हैं।

केस स्टडी 7

पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखण्ड के तहत डंगवार ग्राम पंचायत के एक लाभार्थी (पीएमएवाई-जी आईडी-जेएच273XXXX) को वर्ष 2020-21 के दौरान एक आवास स्वीकृत (14 नवंबर 2020) किया गया। लाभार्थी को दिसंबर 2020 से जनवरी 2022 के दौरान ₹ 1.30 लाख की वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया। मनरेगा पोर्टल से *क्रॉस चेक* करने से पता चला कि 95 मानव दिवसों के निर्धारित मानदंड के विरुद्ध केवल 24 मानव दिवस ही सृजित किए गए थे। इस प्रकार, 71 मानव दिवसों के कम सृजन के कारण कम मजदूरी के भुगतान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

चित्र 4.1: लाभार्थी को मनरेगा से 71 मानव दिवस के लिए कम मजदूरी प्रदान की गई

केस स्टडी 8

दुमका जिले के जामा प्रखण्ड के अंतर्गत तेंगधोबा ग्राम पंचायत के एक लाभार्थी (पीएमएवाई-जी आईडी: जेएच248XXXX) को अप्रैल 2020 में पीएमएवाई-जी आवास स्वीकृत किया गया और वर्ष 2020-21 के दौरान उसे ₹ 1.20 लाख का भुगतान किया गया था। आवाससॉफ्ट के अनुसार, मनरेगा के तहत निर्धारित 90 मानव दिवसों की तुलना में केवल 24 मानव दिवस सृजित किए गए थे। इस प्रकार 66 मानव दिवसों की कमी के परिणामस्वरूप मजदूरी का कम भुगतान होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

चित्र 4.2: लाभार्थी को मनरेगा से 66 मानव दिवसों के लिए कम मजदूरी प्रदान की गई

इसके जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025 में) कि मामले की जांच के पश्चात सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.5 अपात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी करना

नमूना जाँच किए गए जिलों में, प्राथमिकता सूची में शामिल 4.82 लाख लाभार्थियों में से 96,355 (20 प्रतिशत) अपात्र लाभार्थियों को विभिन्न आधारों पर प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल से (मार्च 2024 तक) रिमांड किया/हटा दिया गया **(कंडिका 2.2.2** और **तालिका 2.1)**।

रिमांड प्रस्तावों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांचित छः जिलों में से पांच जिलों में मार्च 2017 से दिसंबर 2024 के बीच 115 अपात्र लाभार्थियों[15]

[15] बोकारो: 22 लाभार्थी; दुमका: 9 लाभार्थियों; पलामू: 40 लाभार्थियों; रामगढ़: 41 लाभार्थियों और सिमडेगा: 3 लाभार्थियों.

को मकान स्वीकृत किए गए और उन्हें कुल ₹138.55 लाख[16] की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि मामले की जांच के बाद सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.6 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा तैयार की गई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अनियमितताएं

पीएमएवाई-जी के एफएफआई ने निर्धारित किया कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य स्तर पर पीएमएवाई-जी के खातों और जिला स्तर पर प्रशासनिक निधि खाते की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित पैनल से चुने गए चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा किया जाए। इसके अलावा, एक वित्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा अगले वित्त वर्ष के 31 अगस्त से पहले पूरी की जानी थी।

राज्य स्तर:

सीए द्वारा वर्ष 2019-20 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन फरवरी 2020 में अर्थात संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले तैयार की गई थी। इस प्रकार, इस प्रतिवेदन में बताए गए आंकड़े पूरे वित्त वर्ष को आच्छादित नहीं किए। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए पीएमएवाई-जी खातों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को 45 से 297 दिनों[17] की विलंब के बाद अंतिम रूप दिया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष 2019-20 में आवासों के पूरा न होने के कारण लाभार्थियों द्वारा लौटाए गए ₹ 1.38 करोड़ को सीए द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए तैयार किए गए लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया था।

जिला स्तर:

(i) गिरिडीह जिले ने वर्ष 2019-20 के लिए सीए द्वारा तैयार की गई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया, जबकि यह लेखापरीक्षा द्वारा अधियाचित था।

(ii) नमूना-जांचित चार जिलों (बोकारो, दुमका, पलामू और रामगढ़) में प्रशासनिक निधियों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने में पांच से 279 दिनों[18] का विलंब हुआ।

---

[16] बोकारो: ₹ 28.60 लाख; दुमका: ₹ 9.95 लाख; पलामू: ₹42.80 लाख; रामगढ़: ₹ 53.30 लाख और सिमडेगा: ₹ 3.90 लाख।

[17] वर्ष 2020-21 के लिए सीए रिपोर्ट 24.6.2022 को तैयार की गई; वर्ष 2021-22 के लिए सीए रिपोर्ट 15.10.2022 को तैयार की गई; वर्ष 2022-23 के लिए सीए रिपोर्ट 7.11.2023 और वर्ष 2023-24 के लिए सीए रिपोर्ट, जिसे दिसंबर 2024 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

[18] बोकारो के पीएमएवाई-जी की सीए रिपोर्ट: 2019-20: 20.07.2020; 2020-21: 6.06.2022; 2021-22: 5.09.2022; 2022-23: 4.10.2023; दुमका 2019-20: 14.07.2020; 2020-21: 6.12.2021; 2021-22: 15.09.2022; 2022-23: 10.10.2023; पलामू: 2019-20: 3.11.2020; 2020-21: 22.02.2022; 2021-22: 7.10.2022; 2022-23: 16.11.2023; रामगढ़: 2019-20: 20.08.2020, 2020-21: 1.12.2021; 2021-22: 19.11.2022; 2022-23: 12.04.2024.

(iii) सभी छः नमूना-जांचित जिलों में, वर्ष 2023-24 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, दिसंबर 2024 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे। जवाब में, डीआरडीए ने कहा (दिसंबर 2024) कि प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिया जा रहा था।

(iv) पलामू जिले के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, वर्ष 2019-20 के अंत शेष और वर्ष 2020-21 के आरंभिक शेष के बीच ₹ 1.16 करोड़ का अंतर था, जिसके लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। इसके अलावा, पीएमएवाई-जी प्रशासनिक निधि से वर्ष ₹ 1.04 करोड़ डेबिट किए गए और आईएवाई खाते में क्रेडिट किए गए। हालांकि, संबंधित डेबिट/क्रेडिट प्रविष्टियां न तो पीएमएवाई-जी की प्रशासनिक निधि की रोकड़ बही में की गई थीं और न ही सीए द्वारा आईएवाई की लेखापरीक्षित खाते में की गई थी, इससे लेखापरीक्षित खातों में अशुद्धियों का संकेत मिलता है।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि भविष्य में सीए द्वारा समय पर लेखापरीक्षा के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी और लेखापरीक्षा द्वारा पहचानी गई विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.7 निष्कर्ष

पीएमएवाई-जी के तहत वित्तीय प्रबंधन अपर्याप्त था। राज्य में पीएमएवाई-जी के तहत वर्ष 2019-24 के दौरान उपलब्ध निधि ₹ 20,199.98 करोड़ के विरुद्ध व्यय ₹ 14,113.07 करोड़ (70 प्रतिशत) था जिसमें निधि का उपयोग 55 से 83 प्रतिशत के बीच रहा। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2019-24 के दौरान केन्द्रांश को एसएनए में अंतरित करने में निर्धारित अवधि से तीन से 92 दिनों तक की विलंब हुई। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर ₹ 22.39 करोड़ का दंडात्मक ब्याज बकाया हो गया। इसी प्रकार, वर्ष 2019-24 के दौरान समतुल्य राज्यांश को एसएनए में अंतरित करने में भी आठ से 79 दिनों तक की विलंब हुई। इसके अलावा, वर्ष 2019-24 के दौरान उपलब्ध प्रशासनिक निधि ₹503.75 करोड़ में से केवल ₹202.91 करोड़ (40 प्रतिशत) का ही उपयोग किया गया। जिसका मुख्य कारण लाभार्थियों को सहायता सेवाओं का अभाव और राजमिस्त्रियों को दिए गए प्रशिक्षण में कमी थी। अन्य खामियों में प्रशासनिक निधि का अस्वीकार्य व्यय की ओर विचलन, लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में विलंब, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मानव दिवसों के सृजन में कमी, अपात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने में विलंब और लेखापरीक्षित खातों में अशुद्धियाँ शामिल हैं, देखा गया जो ग्रामीण विकास विभाग की निगरानी में कमी को दर्शाती हैं।